

UPBR010144952023



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(त्वरित न्यायालय)—प्रथम बरेली

उपस्थित : रवि कुमार दिवाकर (एच0जे0एस0)

सत्र परीक्षण संख्या : 1167 / 2023
सेशन केस कम्प्यूटर नं0 : 1502296 / 2023

सरकार

बनाम

1. मो0 आलिम पुत्र मौ0 साबिर उर्फ रफीक अहमद,
2. साबिर उर्फ रफीक अहमद पुत्र सुल्तान अहमद,
निवासीगण— भैरपुरा जादौपुर, थाना—भोजीपुरा, बरेली।

मुकदमा अपराध संख्या 173 / 2023
धारा— 376(2)(n), 323,504,506 भारतीय
दण्ड संहिता, 1860
थाना— देवरनियाँ, जनपद बरेली।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण मु0अ0सं0 173 / 2023, थाना देवरनियाँ बरेली की पुलिस के द्वारा अभियुक्त आलिम के विरुद्ध भा0दं0सं0, 1860 की धारा—376(2)(n), 323,504,506 तथा अभियुक्त साबिर उर्फ रफीक अहमद के विरुद्ध भा0दं0सं0, 1860 की धारा— 504 के अंतर्गत प्रेषित आरोप—पत्र पर संज्ञान लिये जाने के उपरान्त पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 02.11.2023 पर आधारित है।

सत्र परीक्षण सं0 1167 / 2023, राज्य बनाम मो0 आलिम आदि,
मु0अ0सं0 173 / 23 अंतर्गत धारा 376(2) (n), 323,504,506 भा0दं0सं0, थाना देवरनियाँ, बरेली।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली देवरनियाँ, बरेली को इस आशय की टाईप शुदा तहरीर दी कि वह राजेन्द्र नगर, बरेली में कम्प्यूटर कोचिंग पढ़ाने जाती थी। जादौपुर से एक लड़का कोचिंग पढ़ने जाता था, जो अपना नाम आनन्द बताता था, हाथ में कलावा भी बाँधता था। वे ज्यादातर दिनों में साथ-साथ जाते तथा आते थे। वे एक-दूसरे से आकर्षित होने लगे। उसने उससे शादी करने की बात कही। वह उसके बहकावे में आ गयी और वह उसे 13 मार्च 2022 को समय लगभग 10 बजे सुबह राधा कृष्ण मंदिर बाईपास रोड बरेली में ले गया और वहां उसने शादी का झांसा देकर उसकी मांग में सिन्दूर भर दिया और उसके बाद वह उसे रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के पास अपने दोस्त तालिम के कमरे में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये और उसने उसकी अश्लील वीडियो बनायी और उसके अश्लील फोटो लिये। फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह उसे कई बार राजरानी होटल 100फुटा रोड बरेली में ले गया और जहाँ उसने उसके साथ उसकी बिना मर्जी के जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। इसी बीच वह गर्भवती हो गयी, फिर उसने उससे कहा कि वह गर्भवती हो गयी है। फिर उसने उसके साथ 17.03.2023 को उपरोक्त राजरानी होटल में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। उसके बाद एक दिन वह उसके घर जादौपुर गई, तब पता चला कि उसका सही नाम मो० आलिम पुत्र मो० साबिर, उस समय उसके घर में उसके पिता साबिर, भाई बाजिद तथा नाजिम, बहन शिफा तथॉ माँ आदि लोग मौजूद थे। उन सभी लोगों ने कहा कि पहले इसका गर्भपात करा दो फिर धर्म परिवर्तन करके इससे निकाह कर लो। वह घबरा गई, तब उपरोक्त लोगों ने उसके साथ गाली गलौज व मारपीट की तथा कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी और उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद आलिम ने दिनांक 05.05.2023 को उसका गर्भपात कराने के लिए अनवांटेड किड जादौ मेडीकल

से लाकर उसे खिला दी और फिर उसे उसके घर वापस भेज दिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गयी। उसने दिनांक **11.05.2023** को उसे अपने घर बुलाया, तब वह उसके घर गई वहाँ उसके उपरोक्त सभी परिवार वाले मौजूद थे। उन्होंने उसे आलिम के साथ गर्भपात कराने अपना नर्सिंग होम हाफिजगंज भेज दिया और वहाँ आलिम ने उसका गर्भपात करा दिया और उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया, तो उसे व उसके परिवार को जान से मार देंगे। उसकी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. वादिनी मुकदमा की टाईप शुदा तहरीर प्रदर्श क-6 के आधार पर थाना देवरनियों, जिला बरेली में अभियुक्तगण मौ० आलिम, साबिर, वाजिद, नाजिम, शिफा एवं माँ नामालूम के विरुद्ध मु०अ०सं० 173/2023 भा०द०सं०, 1860 की धारा 376, 313, 323, 504, 506 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। साक्षीगण के बयान अंकित किये गये और विवेचनोपरान्त अभियुक्त मौ० आलिम के विरुद्ध भा०द०सं०, 1860 धारा 376(2)(n), 323, 504, 506 के अन्तर्गत तथा अभियुक्त साबिर उर्फ रफीक अहमद के विरुद्ध भा०द०सं०, 1860 धारा 504 के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 175/2023 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. प्रश्नगत मामलें में अभियुक्त मौ० आलिम के विरुद्ध दिनांक 07.03.2024 को आरोप भा०दं०सं०, 1860 की धारा 376(2)(n), 323, 504, 506 के अंतर्गत तथा अभियुक्त साबिर उर्फ रफीक अहमद के विरुद्ध आरोप भा०दं०सं०, 1860 की धारा 504 के अंतर्गत विरचित किया गया, अभियुक्तगण को उपरोक्त आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, किन्तु अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

5. अभियोजन की ओर से, अभियुक्त के विरुद्ध, आरोपित अपराध को, सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है :-

सत्र परीक्षण सं० 1167/2023, राज्य बनाम मो० आलिम आदि,
मु०अ०सं० 173/23 अंतर्गत धारा 376(2) (n), 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना देवरनियों, बरेली।

क०सं०	साक्षी सं०	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
1.	पी०डब्लू०-1	निरीक्षक इन्द्र कुमार	विवेचक
2.	पी०डब्लू०-2	एच०एम० चन्दकीराम	चिक लेखक
3.	पी०डब्लू०-3	पीड़िता	वादिनी मुकदमा
4.	पी०डब्लू०-4	डा० अमित कुमार	विशेषज्ञ साक्षी
5.	पी०डब्लू०-5	आदेश कुमार	तथ्य के साक्षी
6.	पी०डब्लू०-6	डा० सायमा सरफराज खान	विशेषज्ञ साक्षी

अभियोजन की ओर से, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी नहीं परीक्षित कराया गया है।

6. अभियोजन द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनको दौरान विचारण सुसंगत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं सिद्ध कराया गया है, जिनको प्रदर्श से कमबद्ध किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं :-

क.सं.	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श	अभिलेख किस साक्षी द्वारा साबित किये गये हैं।
1.	नक्शा नजरी प्रथम मौका-ए-वारदात राजरानी होटल	प्रदर्श क-1	पी०डब्लू०-1 विवेचक इन्द्र कुमार
2.	नक्शा नजरी द्वितीय मौका-ए-वारदात	प्रदर्श क-2	पी०डब्लू०-1 विवेचक इन्द्र कुमार
3.	आरोप-पत्र	प्रदर्श क-3	पी०डब्लू०-1 विवेचक इन्द्र कुमार
4.	चिक एफ०आई०	प्रदर्श क-4	पी०डब्लू०-2 एच०एम०

सत्र परीक्षण सं० 1167/2023, राज्य बनाम मो० आलिम आदि,
मु०अ०सं० 173/23 अंतर्गत धारा 376(2) (n), 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना देवरनियों, बरेली।

	आर०		चन्दकीराम
5.	जी०डी० कायमी	प्रदर्श क-5	पी०डब्लू०-2 एच०एम० चन्दकीराम
6.	मूल तहरीर द्वारा पीड़िता	प्रदर्श क-6	पी०डब्लू०-3 वादिनी मुकदमा
7.	पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं०	प्रदर्श क-7	पी०डब्लू०-3 वादिनी मुकदमा
8.	पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट	प्रदर्श क-8	पी०डब्लू०-4 डा० अमित कुमार
9.	रजिस्टर की छाया प्रति	प्रदर्श क-8ए	पी०डब्लू०-5 आदेश कुमार
10.	रजिस्टर की छाया प्रति	प्रदर्श क-9	पी०डब्लू०-5 आदेश कुमार
11.	पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट क०सं० 8क/1 ता 8क/6	प्रदर्श क-10	पी०डब्लू०-6 डा० सायमा सरफराज खान
12.	पीड़िता की पूरक मेडीकल रिपोर्ट	प्रदर्श क-11	पी०डब्लू०-6 डा० सायमा सरफराज खान

7. अभियुक्तगण मो० आलिम एवं साबिर उर्फ रफीक अहमद के बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया और साक्षीगण के बयान को गलत बताते हुए मुकदमा रंजिशन चलना बताते हुए सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

सत्र परीक्षण सं० 1167/2023, राज्य बनाम मो० आलिम आदि,
मु०अ०सं० 173/23 अंतर्गत धारा 376(2) (1), 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना देवरनियाँ, बरेली।

8. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

9. आपराधिक विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को अपने साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

10. प्रश्नगत मामले में अभियोजन को यह तथ्य संदेह से परे साबित करना है कि अभियुक्त मो० आलिम द्वारा दिनोंक, समय एवं स्थान अदम तहरीर, अंतर्गत थानाक्षेत्र देवरनियाँ, जिला बरेली में वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर भिन्न-भिन्न स्थान पर उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाये गये और उसके साथ मारपीट की एवं उसे जान से मारने की धमकी दी तथा अभियुक्तगण मो० अलीम एवं साबिर उर्फ रफीक अहमद द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ गाली गलौज कर लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान किया।

11. इस संबंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री दिगम्बर सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त मो० आलिम द्वारा दिनोंक, समय एवं स्थान अदम तहरीर, अंतर्गत थानाक्षेत्र देवरनियाँ, जिला बरेली में वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर भिन्न-भिन्न स्थान पर उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाये गये और उसके साथ मारपीट की एवं उसे जान से मारने की धमकी दी तथा अभियुक्तगण मो० अलीम एवं साबिर उर्फ रफीक अहमद द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ गाली गलौज कर लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के

आशय से साशय अपमान किया। अभियोजन द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तहरीर वादिनी मुकदमा द्वारा स्वयं दी गयी है। वादिनी मुकदमा पढ़ी-लिखी महिला है। उसने तहरीर बिना किसी दबाव के स्वतंत्र सहमति से अपनी इच्छानुसार पुलिस को देकर मुकदमें की कायमी करवायी है। जहाँ तक अभियुक्त आलिम का पीड़िता के साथ शादी करने की बात है, तो कोई भी शादी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही मंदिर में एक हिन्दू महिला से कोई मुस्लिम पुरुष विवाह कर सकता है। यदि हिन्दू विधि से कोई विवाह सम्पन्न हो रहा है, तो दोनों पक्षकारों का हिन्दू होना जरूरी है। वैसे भी यदि उपरोक्त शादी को सही भी माना जाय, तो उपरोक्त विवाह वादिनी मुकदमा को धोखे में रखकर अभियुक्त मो० आलिम द्वारा अपने आप को हिन्दू बताते हुये किया गया है। वादिनी मुकदमा को अभियुक्त आलिम द्वारा स्वयं को हिन्दू तथा अपना नाम आनन्द बताते हुये धोखे से उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया है। अभियुक्त आलिम द्वारा पीड़िता के जो फोटो बनाये गये थे, वह पीड़िता ने विवेचक को दिखाये थे। कुल मिलाकर अभियुक्त आलिम के द्वारा धोखे से पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया गया। शादी का उपरोक्त अपराधिक कृत्य को अभियोजन के द्वारा पूर्णतः सिद्ध एवं साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध किया जाय।

12. इस संबंध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्त मो० आलिम द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को स्वयं को हिन्दू तथा अपना नाम आनन्द बताकर उसके साथ शादी का झांसा देकर कोई बलात्कार नहीं किया गया और न ही उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी और न ही अभियुक्तगण मो० आलिम एवं साबिर उर्फ रफीक अहमद द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ कोई गाली गलौज की गयी। अभियोजन की ओर से कोई ऐसा साक्षी प्रस्तुत नहीं

किया गया है, जो अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करता हो।

अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाय।

13. इस संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0-1 के रूप में निरीक्षक इन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0-1 निरीक्षक इन्द्र कुमार प्रश्नगत प्रकरण में विवेचक अर्थात् औपचारिक साक्षी हैं। गवाह पी0डब्लू0-1 निरीक्षक इन्द्र कुमार के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयानात के माध्यम से नक्शा नजरी घटना स्थल राजरानी होटल को प्रदर्श क-1 के रूप में, नक्शा नजरी द्वितीय घटना स्थल को प्रदर्श क-2 के रूप में तथा आरोप-पत्र को प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया है।

14. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0-2 के रूप में एच0एम0 चन्दकीराम को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0-2 एच0एम0 चन्दकीराम प्रश्नगत प्रकरण में चिक लेखक अर्थात् औपचारिक साक्षी हैं। गवाह पी0डब्लू0-2 एच0एम0 चन्दकीराम के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयानात के माध्यम से चिक एफ0आई0आर0 को प्रदर्श क-4 के रूप में तथा जी0डी0 कायमी को प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया है।

15. इस संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0-3 के रूप में वादिनी मुकदमा/पीड़िता को परीक्षित कराया गया है।

गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि उसकी उम्र 23 वर्ष है। वह कम्प्यूटर की कोचिंग करने राजेन्द्र नगर जाती थी। अटामांडा स्टेशन से एक लड़का भी बरेली कोचिंग पढ़ने आता था, जो अपना नाम आनन्द बताता था। हम लोगों की एक दूसरे से दोस्ती हो गयी। हम लोगों ने साथ-साथ कोचिंग आना शुरू कर दिया था। आनन्द ने उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाने को कहा, तो उसने उससे कहा पहले शादी करो, तब ये

सब काम करना। वह उसके बहकावे में आ गयी और उसने 13 मार्च 2022 को राधा कृष्ण मंदिर फतेहगंज पश्चिमी में उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और उसी समय अपने दोस्त के रूम पर पशुपति नाथ कालोनी में ले गया और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये और उसके फोटो भी खींच लिया और विडियो भी बनायी। और उसे घर भेज दिया और उससे कहा कि वह उससे 10 दिन बाद कोर्ट मैरिज कर लेगा और उसे धमकी भी दी थी कि ये बात अगर किसी को बतायी तो उसे जान से मार देगा और फोटो भी वायरल कर देगा। इसके बाद उसने उसके साथ राजरानी होटल में कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये और उसके साथ मारपीट करता था। उसके विरोध करने पर धमकी देता था कि वह उसे जान से मार देगा और उसके फोटो उसके घर भेज देगा। वह इसी बीच गर्भवती हो गयी यह बात उसने आनन्द को बतायी, तो उसने उसे बच्चा गिराने के लिए बोला और कहा वह उसे नहीं रखेगा। फिर उसने उसे देवरनिया स्टेशन पर बुलाया और उसे जबरदस्ती गर्भ गिराने की दवाई खिलाने की कोशिश की और उसके न खाने पर उसने उसके साथ मारपीट की और वह अपने घर चला गया। वह भी उसका पीछा करते हुए उसके घर जादौपुर गयी तब उसे पता चला की उसका असली नाम मो० आलिम है जो मुस्लिम धर्म व जाति लोहार है। तब उसने मो० आलिम के घरवालों को बताया कि इसने उससे आनन्द नाम बताकर मंदिर में शादी कर ली है और उसने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये है, जिसकी वजह से वह लगभग दो माह की गर्भवती है। इसी बात पर आलिम व उसके पापा रफीक अहमद, मां शकील बानो, भाई मो० साजिद, बहना सहरा इन सब ने गाली गलौच कर कहा कि तू हिन्दू धर्म की है और सब ने मारपीट की और आलिम ने उसके पेट पर लात मारी और उसे भगा दिया। दो दिन बाद उसे मो० आलिम ने उसे फोन करके बुलाया और कहा तुम आ जाओ वह उसे अपने साथ रखेगा और उसका धर्म परिवर्तन भी नहीं करायेगा। उसे देवरनिया स्टेशन पर बुलाया और वहां से उसे अपने घर ले गया और

वहां उसे अन्वान्टिड गोली बच्चा गिराने वाली चाय में मिलाकर धोखे से खिला दी फिर उसकी तबियत खराब होने लगी, तो मो० आलिम उसे अपना नर्सिंग होम हाफिजगंज अस्पताल में लेकर गया। दिन रविवार का था इसलिए डा० मैडम छूटटी पर थी फिर फोन करके डा० मैडम को बुलाया और उसका गर्भपात करा दिया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5क तहरीर गवाह को दिखायी और गवाह ने पढ़कर देखी तो गवाह ने कहा यह वही तहरीर है जो उसने बोल-बोलकर टाईप करायी थी और थाने पर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया था जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं जिसपर उसका मोबाईल नम्बर अंकित है, जो वर्तमान में भी चालू है। जिसपर **प्रदर्श क-6** डाला गया। पुलिस ने उसका मेडिकल महिला जिला अस्पताल में कराया था। मेडिकल में जो उसके बयान (पीडिता कोशादी का झूठा झांसा देकरगलत सम्बन्ध बनाये.....और मेरी फोटों विडियों बनाकर उसके साथ.....वह गर्भवती हो गयी.....उसका गर्भपात करा दिया.....अपना नर्सिंग होम हाफिजगंज में गर्भपात कराया।) ये बयान उसने स्वयं लिखे हैं उसके लेख में है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं और उसका निशानी अंगूठा भी लगा है। गवाह को 161 सी०आर०पी०सी० का बयान दिखाया व गवाह ने पढ़कर देखा, तो गवाह ने कहा यह वही बयान है जो उसने महिला पुलिस वाली को दिये थे, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। माननीय न्यायालय में एक सील बंद लिफाफा पेश हुआ, जिसे माननीय न्यायालय के आदेश से खोला गया जिसमें बयान पीडिता 164 सी०आर०पी०सी० निकला, जिसपर लगा फोटो देखकर गवाह ने कहा यह उसका है। **बयान 164 सी०आर०पी०सी०** गवाह को दिखाये और गवाह ने पढ़कर देखे तो गवाह ने कहा यह वही बयान है जो उसने न्यायालय में महिला जज साहब के सामने दिये थे, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। जिस पर **प्रदर्श क-7** डाला गया। घटना वाली सभी जगह उसने पुलिस को दिखायी थीं।

गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/ पीड़िता के द्वारा अपने बयानात के माध्यम से मूल तहरीर को प्रदर्श क-6 के रूप में तथा बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 को प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया गया है।

गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता के मुख्य बयानात के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता कम्प्यूटर की कोचिंग करने राजेन्द्र नगर जाती थी। जहाँ पर एक लड़का कोचिंग पढ़ने आता था, जो अपना नाम आनन्द बताता था। उन लोगों की एक-दूसरे से दोस्ती हो गयी। जब आनन्द ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता से संबंध बनाने को कहा तब उसने कहा पहले शादी करो, फिर ये सब बाद में करना। वादिनी मुकदमा/पीड़िता अभियुक्त के बहकावे में आ गयी और उसने 13 मार्च, 2022 को राधा कृष्ण मंदिर फतेह गंज पश्चिमी में वादिनी मुकदमा/पीड़िता की मांग में सिन्दूर भर दिया और फिर उसे अपने दोस्त के कमरे पर पशुपतिनाथ कालोनी में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाये और वादिनी मुकदमा/पीड़िता का फोटो भी खींच लिया और वीडियो भी बनायी। फिर अभियुक्त ने उसे भरोसा दिया कि वह दस दिन बाद कोर्ट मैरिज कर लेगा तथा यह भी धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बतायी, तो वह उसे जान से मार देगा और उसकी फोटो भी वायरल कर देगा। इसके बाद अभियुक्त ने उसके साथ राजरानी होटल में कई बार शारीरिक संबंध बनाये और उसके साथ मारपीट की। इसी बीच वादिनी मुकदमा/पीड़िता गर्भवती हो गयी और यह बात उसने अभियुक्त आनन्द को बतायी, तो उसने कहा कि बच्चा गिरा दो, वह तुम्हें नहीं रखेगा। उसके मना करने पर उसने उसे जबरदस्ती गर्भ गिराने की दवा पिलाने की कोशिश की और उसके ना खाने पर उसके साथ मारपीट की और फिर अभियुक्त अपने घर चला गया। *वादिनी मुकदमा/पीड़िता भी अभियुक्त का पीछा करते हुये उसके घर जादोंपुर पहुँची, तब*

वादिनी मुकदमा/पीड़िता को पता चला कि उसका असली नाम आलिम है, जो मुस्लिम धर्म का है। तब वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अभियुक्त मो० आलिम के घर वालों को बताया कि इसने उसे आनन्द नाम बताकर मंदिर में शादी कर ली है और इसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये हैं, जिससे वह दो माह की गर्भवती है। इसी बात पर अभियुक्त मो० आलिम के पापा रफीक अहमद तथा उसके परिवार वालों ने गाली-गलौज कर कहा कि तू हिन्दू धर्म की है और सबने मारपीट की और मो० आलिम ने उसके पेट पर लात मारकर भगा दिया।

अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त मो० आलिम ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता से दोस्ती अपना हिन्दू नाम आनन्द बताकर की और अभियुक्त मुस्लिम धर्म का होते हुए भी उसने वादिनी मुकदमा/पीड़िता को धोखे में रखकर राधा कृष्ण मंदिर में शादी की और उससे उसके साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाये तथा वादिनी मुकदमा/पीड़िता का फोटो व वीडियो बनाकर उसके साथ लगातार कई बार बलात्कार किया।

इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता के सशपथ बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० न्यायालय के समक्ष हुये हैं। वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० में अपनी आयु 22 वर्ष बतायी गयी है और यह अभिकथन किया गया कि सन् 2022 जनवरी में आनन्द से मुलाकात हुयी थी। उसने अपना नाम आनन्द बताया था। राजेन्द्र नगर में कोचिंग करता था। वह टाइपिंग सीख रही थी। उसने वहाँ पर नंबर लिया था। उनकी फ्रेंडली बातें होने लगीं थीं, वे मिलने लगे। उसे एक दिन प्रपोज कर दिया। उसने भी कहा कि हाँ, वह भी पसंद करती है। मार्च 2022 में उसने उससे संबंध बनाने को बोला, उसने कहा शादी के बाद यह सब होगा। 13 मार्च, 2022 को राधा कृष्ण फतेहगंज में लेकर गया, वहाँ पर उसने सिंदूर भरके शादी

कर ली। वहाँ कोई पंडित नहीं था। चोरी से शादी किया था। बोला था कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे 10 दिन बाद। उसी दिन उसे रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के पास पशुपतिनाथ कालोनी में अपने दोस्त के यहाँ लेकर गया। वहाँ पर उसके सिर दर्द हो रहा था, तो उसने उसे एक दवा दी, की खा लो ठीक हो जायेगा। दवा खाने के बाद अजीब सा लग रहा था। उसने उसके साथ सेक्स किया जबरदस्ती और उसकी वीडियो, फोटो बनायी और कई बार उसने उसके साथ सेक्स किया। राजरानी होटल में भी ले जाता था। उसे मारता पीटता था और वीडियो दिखाकर कहता था कि किसी को बताओगी, तो जान से मार डालूँगा। जिस दिन शादी किया था, उसी दिन शारीरिक संबंध बनाया था। उसने कहा था कि वह घर नहीं जायेगी, तो उसे बोला कि तुम घर जाओ 10 दिन बाद कोर्ट मैरिज करेंगे। उसे उसने उसकी वीडियो दिखाकर कहा, किसी को बताना नहीं वरना मार डालूँगा। वह घर चली गयी। वह उसे एक महीने बाद फिर से बुला रहा था। वह बोली कि नहीं आऊँगी, तो उसने उसके जीजा के फोन पर उसने उसकी न्यूड फोटो भेजी और जीजा के फोन पर धमकी दिया कि अपनी साली को भेजो बरेली, उसके जीजा ने पूछा, तो उसने कहा वह नहीं जानती लड़का परेशान कर रहा है। फिर वह उसके पास देवरनियों स्टेशन गयी, वहाँ से उसे राजराजी होटल ले गया। वहाँ पर उसे बेल्टों से मारा और बहुत गलत तरीके से संबंध बनाया, जब उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, तो वीडियो बनायी, फोटो खींचा। उसने कई बार उसके साथ दरिंदों की तरह सेक्स किया। दवाई खाकर करता था। उसे हरबार ब्लेकमेल करके ले जाता था। वह मार्च, 2023 में गर्भवती हो गयी। उसने उसको अप्रैल में बताया, इस बारे में और उसे घर लेकर चलो, कहा, तो उसने मना किया कि घर लेकर नहीं जाऊँगा, बच्चा गिरा दो। मई में स्टेशन पर देवरनियों पर आया। इसने जबरदस्ती उसे अनवान्टेड दवा दिलाने की कोशिश की। जब उसने मना किया, तो वहीं स्टेशन पर मारने लगा और चला गया। तब उसने उसका पीछा किया। वह जाधवपुर पहुँची,

वहाँ जाकर वह उसके घर पहुँची, तो उसकी माँ बोली कौन है, उसने पूछा आपका लड़का आनन्द कहाँ हैं, तो उसकी माँ ने कहा इस नाम का कोई नहीं है, तो फोटो दिखाकर पूछा, तो आलिम नाम बताया। वह सुनकर सदमे में चली गयी, ये हिन्दू बताता था, मुस्लिम निकला। उसने उसकी माँ को सब बताया, तो इसकी माँ ने कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करो, उसने मना किया। उसने तो हिन्दू समझकर शादी की थी। उसके बाद उसको आलिम ने कमरे में ले जाकर बहुत मारा पीटा, वहाँ पर पूरा परिवार था और उसे बहुत दबाव बनाया कि धर्म परिवर्तन कर लो। उसने बोला कि थाने में जाऊँगी, तो आलिम ने कहा कि उसकी वीडियो वायरल कर देगा। उसके पेट में लात भी मारा, बोला बच्चा भी मार दूँगा। चुपचाप घर चली जाओ, किसी को कुछ मत बताना। वह घर पर अपने गयी। फिर 05.05.2023 को फोन पर कहा कि आ जाओ वह उससे शादी करेगा और धर्म परिवर्तन भी नहीं करेगा। जब वह घर पहुँची, तो आलिम ने उसे मारपीट कर जबरदस्ती अनवान्टेड दवा खिला दी और बोला कि तू घर जा यह बात किसी को बताना नहीं। उसके परिवार वालों ने भी धमकाया। उसने 07.05.2023 को फोन किया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ले चलो, इसने मना कर दिया। दिनांक 11.05.2023 को आलिम ने फोन किया और उसे वह और उसकी माँ देवरनियाँ लेने आये, उसे अपने घर ले गया और उसी दिन अपना नर्सिंग होम हाफिजगंज बाईपास रोड ले जाकर जबरदस्ती आप्रेशन कराकर बच्चा गिरा दिया। डाक्टर का नाम शायद आशा था। उसे बाहर मिला और मारा और उसे देवरनियाँ स्टेशन से टुक-टुक में बैठा दिया, वह घर गयी। फिर उसे 13.05.2023 को बुलाया और उसकी बहन शीफा के साथ अपना नर्सिंग होम से दवा दिलायी। वहाँ आलिम ने उसे अपने घर पर रोका था। उसने अपने घर पर बोल दिया कि वह अपनी दोस्त के यहाँ है और दोस्त से कांफ्रेंस पर लेके बात भी करायी थी। रात में भी आलिम ने उसे मारा और उसके माँ-बाप, सिस्टर पूरा परिवार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। उसके बाद वह अपने घर

गयी। जब उसे पता चला कि वह भाग गया है, तो उसने फोन किया, उसने बोला वह यहाँ नहीं है, अब नहीं आऊँगा और फोन बंद कर दिया, तो उसने दिनांक 27.05.2023 को देवरनियों थाने में कम्प्लेंट दिया और कुछ नहीं कहना है।

वादिनी मुकदमा/पीड़िता के न्यायालय के समक्ष दिये गये सशपथ बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता की सन् 2022 जनवरी में आनन्द से मुलाकात हुयी थी। अभियुक्त ने अपना नाम उसे आनन्द बताया था। वे लोग कोचिंग में पढ़ते थे। एक दिन अभियुक्त ने उसे प्रपोज कर दिया। मार्च, 2022 में अभियुक्त ने उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, तब वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने कहा यह सब शादी के बाद होगा। अभियुक्त 13 मार्च, 2022 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता को राधा कृष्ण मंदिर ले गया और उसकी माँग में सिन्दूर भरकर शादी कर ली। शादी के समय मंदिर में कोई पंडित नहीं था। शादी चोरी से की थी। अभियुक्त बोला दस दिन बाद कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उसी दिन अभियुक्त वादिनी मुकदमा/पीड़िता को रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के पास पशुपतिनाथ कालोनी में अपने दोस्त के यहाँ लेकर गया। वहाँ पर वादिनी मुकदमा/पीड़िता का सर दर्द होने लगा, तब अभियुक्त ने उसे दवा दी और कहा सब ठीक हो जायेगा। वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने दवा खा ली और उसे अजीब सा लगने लगा। अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता की बिना सहमति से उसके साथ जबरदस्ती सेक्स किया और उसकी वीडियो और फोटो बनायी। अभियुक्त ने उसके साथ कई बार बिना उसकी स्वतंत्र सहमति के सेक्स किया और राजरानी होटल में ले जाकर भी किया। अभियुक्त उसे मारता-पीटता था और उसे वीडियो दिखाकर कहता था कि यदि किसी को बताओगी, तो जान से मार डालूँगा। अभियुक्त वादिनी मुकदमा/पीड़िता से कहा यदि यह बात तुमने किसी को बतायी, तो तेरा वीडियो वायरल कर दूँगा। अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता

के जीजा के फोन पर न्यूड फोटो भेजी और उसके जीजा को धमकी दी कि अपनी साली को भेजो। वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने जीजा से बताया कि वह नहीं जानती कि यह लड़का क्यों परेशान कर रहा है। फिर अभियुक्त वादिनी मुकदमा/पीड़िता देवरनियाँ रेलवे स्टेशन से राजरानी होटल ले गया। वहाँ पर उसे बेल्टों से मारा और बहुत गलत तरीके से संबंध बनाये तथा जब वादिनी मुकदमा/पीड़िता के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, तो वीडियो बनायी और फोटो खींचे। उसने कई बार वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ दरिदों की तरह दवाई खाकर सेक्स किया। अभियुक्त वादिनी मुकदमा/पीड़िता को ब्लेकमेल करने लगा। मार्च, 2023 में वह गर्भवती हो गयी। एक बार जब उसने अभियुक्त का पीछा किया और उसके घर पहुँची, तो उसकी माँ बोली कौन हो, तो उसने पूछा आपका लड़का आनन्द कहाँ है, तो उसकी माँ ने कहा इस नाम का कोई लड़का नहीं है, तो उसने फोटो दिखाकर पूछा, तो अभियुक्त की माँ ने आनन्द का नाम आलिम बताया। वादिनी मुकदमा/पीड़िता यह शब्द सुनकर सदमे में चली गयी, क्योंकि आलिम ने अपने आप को हिन्दू बताया और वह मुस्लिम निकला। उसने सारी घटना अभियुक्त की माँ को बतायी, तब अभियुक्त मो० आलिम की माँ ने कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करो। उसने मना किया, तो उसके बाद आलिम ने कमरे में ले जाकर उसे मारा पीटा। वहाँ पर पूरा परिवार था तथा वादिनी मुकदमा/पीड़िता पर बहुत दबाव बनाया कि धर्म परिवर्तन कर लो। उसने कहा वह थाने जायेगी, तो अभियुक्त मो० आलिम ने कहा कि उसका वीडियो वायरल कर देगा। फिर दिनांक 13.05.2023 को जब अभियुक्त मो० आलिम ने उसे अपने घर पर बुलाया और अभियुक्त के परिवार के

सभी लोग उपस्थित थे और सबने कहा इसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दो।

इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0-5 के रूप में आदेश कुमार को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0-5 आदेश कुमार प्रश्नगत प्रकरण में तथ्य के साक्षी हैं।

गवाह पी0डब्लू0-5 आदेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि होटल राजरानी महानगर कालोनी के गेट के बराबर में है। उसमें वह मैनेजर के पद पर चार साल से तैनात है। पत्रावली में शामिल कागज सं0 17क जो उसके होटल के मूल रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति है, जिस पर उसके होटल की मोहर लगी है, जिसमें दिनांक 18.03.2023 को कमरा नं0 403, पर्सन दो, गेस्ट नाम आलिम पता वाले कॉलम में C/o रफीक अहमद, भैरपुरा, अंकित है, जिसमें **आने का समय 7:30 बजे, जाने का समय 10:40 बजे** कहाँ से आये, कहाँ जाना है, मोबाइल नंबर अंकित है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 18ख/6, जो उसके होटल के मूल रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति है, जिस पर उसके होटल की मोहर लगी है, जिसमें **दिनांक 03.03.2024 नम्बर 406, पर्सन दो, गेस्ट नाम आलिम पता वाले कॉलम में भैरपुरा, अंकित है, जिसमें आने-जाने का समय, कहाँ से आये, कहाँ जाना है, मोबाइल नंबर व हस्ताक्षर अंकित है।** उसके होटल में रिसेप्शनिस्ट रंजीत के उक्त रजिस्टर की छाया प्रतियों पर हस्ताक्षर हैं। रंजीत के लेख व हस्ताक्षर को वह पहचानता है। **रजिस्टर की छाया प्रति कागज सं0 17क पर प्रदर्श क-8-ए एवं रजिस्टर की छाया प्रति कागज संख्या 18ख/6 पर प्रदर्श क-9 डाला गया। उसने मो0 आलिम व उसके साथ जो लड़की आती थी, उसे उसने आते हुए देखा था। लड़का रजिस्टर में एंट्री होने के बाद आगे जाता था, लड़की पीछे-पीछे आती थी। लड़की के चेहरे पर**

कोई खुशी नहीं दिखती थी। देखने पर लगता था ये जबरदस्ती व दबाव में जा रही है। उसके होटल का मूल रजिस्टर पुलिस ने ले लिया है। पुलिस उसके होटल में आयी थी। उससे पूछताछ की थी।

गवाह पी0डब्लू0-5 आदेश कुमार के मुख्य बयानात तथा रजिस्टर की छाया प्रति क्रमशः प्रदर्श क-8ए तथा प्रदर्श क-9 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दिनांक 18.03.2023 को कमरा नं0 403 पर्सन दो गैस्ट का नाम आलिम, पता वाले कॉलम में कैअर ऑफ रफीक अहमद अंकित है, जिसमें आने का समय 07:30 बजे व जाने का समय 10:40 बजे तथा मोबाईल नंबर भी अंकित है। दिनांकित 03.03.2023 को कमरा नं0 406 पर्सन दो, गैस्ट का नाम आलिम अंकित है, मोबाईल नंबर व हस्ताक्षर हैं। उक्त होटल में अभियुक्त आलिम व उसके साथ एक महिला आयी थी। मेरे द्वारा इस संबंध में रजिस्टर की छाया प्रतियाँ 8-ए एवं प्रदर्श 9 को देखा गया। प्रदर्श 8-ए में दिनांकित 18.03.2023 को रूम नं0 403 आलिम के नाम से बुक है तथा प्रदर्श 9 में दिनांक 03.03.2023 को कमरा नं0 406 आलिम ने बुक कराया है और दोनों में गैस्ट की संख्या 2 है। उपरोक्त बयानात के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि मो0 आलिम व उसके साथ जो लड़की आती थी, उसको आते हुए उसने देखा था। लड़का रजिस्टर में एंट्री होने के बाद आगे जाता था, लड़की पीछे-पीछे आती थी। लड़की के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती थी, देखने पर लगता था कि यह जबरदस्ती व दबाव में है।

गवाह पी0डब्लू0-5 आदेश कुमार ने अपनी जिरह के पेज संख्या 2 पर यह कथन किया कि वे लोग होटल में यदि कोई महिला पुरुष आता है। उनके मध्य क्या रिश्ता है, ये पूछते हैं। इस मामले में आलिम ने अपना दोस्त होना बताया था। उसके होटल में अभियुक्त तीन-चार बार आया था। अतः गवाह पी0डब्लू0-5 आदेश कुमार की जिरह से स्पष्ट है कि जब अभियुक्त आलिम महिला के साथ होटल में गया था, तब उसने वादिनी मुकदमा/पीड़िता को अपना दोस्त बताया था। राजरानी

होटल में अभियुक्त मो० आलिम तीन-चार बार गया था। इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विवेचक के द्वारा वादिनी मुकदमा के अनुसार घटना स्थल राजरानी होटल का नक्शा नजरी बनाया गया है, जो पत्रावली पर प्रदर्श क-1 के रूप में उपलब्ध है। उपरोक्त नक्शा नजरी को विवेचक गवाह पी०डब्लू०-1 इन्द्र कुमार के द्वारा साबित किया गया है। अतः गवाह पी०डब्लू०-5 आदेश कुमार के उपरोक्त बयानात की सम्पुष्टि विवेचक द्वारा बनाये गये घटना स्थल के नक्शा नजरी प्रदर्श क-1 से होती है।

अतः गवाह पी०डब्लू०-5 आदेश कुमार के मुख्य बयानात एवं जिरह से गवाह पी०डब्लू०-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता के मुख्य बयानात एवं मूल तहरीर प्रदर्श क-6 में अंकित यह तथ्य कि अभियुक्त मो० आलिम ने राजरानी होटल ले जाकर भी कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये, इस तथ्य की सम्पुष्टि होती है।

इसी अनुक्रम में अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी०डब्लू०-6 के रूप में डा० सायमा सरफराज खान को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी०डब्लू०-6 डा० सायमा सरफराज खान प्रश्नगत प्रकरण में विशेषज्ञ साक्षी हैं।

गवाह पी०डब्लू०-6 डा० सायमा सरफराज खान ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कहा कि दिनांक 30.05.2023 को वह महिला जिला अस्पताल में महिला चिकित्सा अधिकारी के रुम में ड्यूटी पर थी। उसी दिन समय करीब 3:15 पी०एम० पर महिला का० प्रिया रानी मु०अ०सं० 173/2023 अन्तर्गत धारा-376,313,323,504,506 भा०दं०सं०, थाना देवरनिया जिला बरेली की पीड़िता को मेडीकल परीक्षण हेतु लेकर आयी थी, जिनका मेडीकल परीक्षण उसके द्वारा 3:42 पी०एम० पर शुरू किया गया जिनकी पहचान चिह्न के रूप में एक काला तिल सीधी आंख के पास था। मेडीकल परीक्षण के दौरान पीड़िता के द्वारा बताया गया था कि उसका गर्भपात 05.05.2023 को कराया गया था। मेडीकल परीक्षण के दौरान पीड़िता ने अपने हाथों से स्वयं लिखा है कि (वह

पीड़िता.....शादी का झांसा देकर.....उसके साथ गलतवह गर्भवती हो गयी.....गर्भपात करा दिया.....आखिरी सम्बन्ध.....दिनांक 05.05.2023 अपना नर्सिंग होम.....गर्भपात कराया) मेडीकल प्रपत्रों पर पीड़िता ने अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा इस पर पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा है, जो उसके द्वारा प्रमाणित है। पीड़िता से पूछने पर उसने बताया उसके साथ आलिम नाम के लड़के ने जो लगभग 26 वर्ष का है, उसने वीडियो और फोटो ग्राफ के जरिए उसे ब्लैक मेल कर उसके साथ गलत काम किया है। मेडीकल परीक्षण के दौरान पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं पायी गयी थी। हायमन पुराना व फटा हुआ था। पीड़िता ने कपड़े बदल लिये थे और स्नान कर चुकी थी। मेडिकल परीक्षण के दौरान निम्न सैम्पल लिये गये—

1. Blood sample for HIV, HBsAg, HCV, VDRL,
2. Blood sample for DNA.
3. USG for Fetal remnant.(गर्भपात के बाद बच्चे के टुकड़े न रह गये हो इस लिए अल्ट्रासाउण्ड की सलाह दी गयी थी।)
4. Namoon Mohar.

पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज संख्या 8क/1 लगायत 8क/6 है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसपर पीड़िता की मां व पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा है जो उसके द्वारा प्रमाणित है जिसपर **प्रदर्श क-10** डाला गया।

पीड़िता की पूरक रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की गयी थी। डा० यशवंत सिंह के द्वारा तैयार की गयी पेथोलॉजी रिपोर्ट व डा० कुलदीप द्वारा तैयार की गयी अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के आधार पर कुछ पॉजिटिव नहीं पाया गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 10क पूरक रिपोर्ट जो उसके लेख व हस्ताक्षर में जिसपर **प्रदर्श क-11** डाला गया।

पीड़िता के साथ बलात्कार होने के सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती।

गवाह पी0डब्लू0-6 डा0 सायमा सरफराज खान ने अपने मुख्य बयानात के माध्यम से पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट को प्रदर्श क-10 के रूप में व पूरक रिपोर्ट को प्रदर्श क-11 के रूप में साबित किया है।

अतः गवाह पी0डब्लू0-6 डा0 सायमा सरफराज खान के मुख्य बयानात के मुख्य विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता का दिनांकित 30.05.2023 मेडीकल उनके द्वारा किया गया था। मेडीकल से संबंधित प्रपत्रों पर वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने हस्ताक्षर किये थे तथा अपना अंगूठा भी लगाया था, जो कि उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है। जब उन्होंने पीड़िता से पूछा, तो पीड़िता ने बताया कि आलिम नाम के लड़के ने जो लगभग 26 वर्ष का है उसने वीडियो और फोटोग्राफ्स के जरिये उसे ब्लेकमेल कर उसके साथ गलत काम किया है। उपरोक्त बयानात की सम्पुष्टि पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श क-10 से होती है। पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श क-10 में अंकित तथ्य इस प्रकार हैं — “ पीड़िता की आलिम से दो साल से रिलेशनशिप थी। उसने उसके साथ शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ गलत संबंध बनाया और उसकी वीडियो और फोटो बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वह गर्भवती हो गयी, तो उसका गर्भपात कर दिया। 17.03.2023 को आखिरी संबंध बनाये, तब वह गर्भवती हो गयी। दिनांक 05.05.2023 अपना नर्सिंग होम हाफिजगंज में गर्भपात कराया। ” उपरोक्त मेडीकल प्रपत्र में पीड़िता के बयानात के नीचे पीड़िता ने अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपना निशानी अंगूठा भी लगाया है, जिसे कि गवाह पी0डब्लू0-6 डा0 सायमा सरफराज खान ने प्रमाणित किया था। इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि पीड़िता/वादिनी मुकदमा जो कि गवाह पी0डब्लू0-3 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुयी हैं, उन्होंने अपने मुख्य बयानों में उपरोक्त डाक्टर के समक्ष दिये गये अपने बयानात को अपने लेख में होना तथा अपना हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लगा होना स्वीकार किया है तथा उपरोक्त बयानात को साबित किया है।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता से जिरह भी की गयी है, जिसका सार निम्नांकित है –

गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने जिरह के पेज संख्या 4 पर यह कहा कि आलिम जिस कोचिंग में पढ़ने आता था, उसका नाम उसे याद नहीं है। **अतः गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि वह अभियुक्त मो0 आलिम से कोचिंग में मिली थी।**

गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने जिरह के पेज संख्या 4 पर आगे यह भी कहा कि उन्होंने उसी दिन एक दूसरे को अपना-अपना मोबाईल नंबर दे दिया था। यह बात सही है कि नम्बर का आदान-प्रदान होने के बाद उन लोगों की चैटिंग एक-दूसरे से होने लगी थी। वह देवरनियों की रहने वाली है और अभियुक्त जाधवपुर का रहने वाला है। **अतः गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि अभियुक्त मो0 आलिम व वादिनी मुकदमा/पीड़िता में दोस्ती हो गयी और दोनों ने एक-दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया।**

गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने जिरह के पेज संख्या 5 पर यह कहा कि उसके बाद उन लोगों ने राधा कृष्ण मंदिर फतेहगंज पश्चिमी में हिन्दू रीति-रिवाज से शादी की थी। धर्म परिवर्तन नहीं किया था। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में न्यायालय द्वारा गवाह से जब प्रश्न किया गया, तो उसने जिरह के पेज सं0 5 पर आगे यह कहा कि राधा कृष्ण मंदिर में वादिनी मुकदमा/पीड़िता व अभियुक्त की शादी हुयी थी। शादी का कोई प्रमाण-पत्र उसके पास नहीं है। **वहाँ उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया था।** अतः गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि उसने हिन्दू रीति-रिवाज से अभियुक्त मो0 आलिम के साथ शादी की थी। इस संबंध में यह तथ्य

उल्लेखनीय है कि गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता के मुख्य बयानात एवं धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयानात से स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त मो0 आलिम ने अपना हिन्दू नाम आनन्द बताकर धोखे में रखकर वादिनी मुकदमा/पीड़िता से शादी की। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि हिन्दू रीति-रिवाज से शादी होने के लिए दोनों पक्षों का हिन्दू होना जरूरी है तथा शादी का कोई प्रमाण-पत्र भी पत्रावली पर नहीं है, जिससे शादी के बावत स्थिति स्पष्ट हो सके। मैं अभियोजन के इस तर्क में बल पाता हूँ कि पत्रावली पर शादी का कोई प्रमाण-पत्र नहीं है और हिन्दू विधि में दोनों पक्षों के मध्य हिन्दू रीति-रिवाज से शादी होने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकार हिन्दू हों और वह विवाह पक्षकारों के मध्य धोखे में रखकर न किया गया हो। इस संबंध में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 का अवलोकन महत्वपूर्ण है उपरोक्त धारा 5 हिन्दू विवाह के बावत शर्तें बताती है। हिन्दू विवाह में सबसे प्रमुख शर्त यह है कि दोनों पक्ष हिन्दू हों, तभी विवाह मान्य होगा, अन्यथा धारा 5 के उल्लंघन में किया गया विवाह धारा 11 में शून्य होगा। प्रश्नगत मामले में निश्चित रूप से एक पक्ष मुस्लिम है हालाँकि उसने धोखे से अपना नाम हिन्दू आनन्द बताकर विवाह किया है, जोकि किसी भी दशा में हिन्दू विधि में मान्य नहीं है।

इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धर्म संपरिवर्तन के उद्देश्य से किया गया विवाह उत्तर-प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 6 के अनुसार भी शून्य होगा अर्थात् उपरोक्त विवाह कानून की नजर में विवाह नहीं होगा।

गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने जिरह के पेज संख्या 5 पर आगे यह भी कहा कि उसके परिवार व हिन्दू संगठन वालों को पता चल गया था। हिन्दू संगठन वाले लोग उसके घर पर आये थे और उन्होंने उसके माँ-बाप पर दवाब बनाया था कि ये मुस्लिम लड़का है और तुम्हारी लड़की उसके घर नहीं जा सकती। हिन्दू संगठन के दवाब

व माता-पिता के दबाव में आकर ही यह मुकदमा लिखवाया गया था। इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि जब न्यायालय के द्वारा उपरोक्त गवाह से प्रश्न किया गया कि जब गवाह ने न्यायालय के समक्ष दिनांकित 31.07.2024 को उसके बयानात हुये थे, तो उसने अभियुक्त का नाम आनन्द बताया था। जबकि अभियुक्त का नाम आलिम है। उपरोक्त गवाह ने कहा कि न्यायालय के समक्ष दिनांकित 31.07.2024 को जो अभियुक्त मुख्य परीक्षा में अभियुक्त आलिम का नाम आनन्द शपथ पर बताया था, वह गलत था आज शपथ पर अभियुक्त का नाम आलिम सही बता रही हूँ। पीड़िता ने 164 दं0प्र0सं0 में जो बयान दिये थे, उसमें अभियुक्त का नाम आनन्द बताया था, जब न्यायालय ने यह पूछा कि 164 दं0प्र0सं0 में दिये गये बयान सही हैं या नहीं, तो गवाह ने कहा कि धारा 164 दं0प्र0सं0 के न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिये गये बयान उसने माता-पिता के दबाव में दिये थे। गवाह ने कहा कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। इस संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उक्त गवाह से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांकित 19.09.2024 को भी जिरह की गयी है, जिसमें उसने कहा है कि वह इस समय किराये पर रह रही है। वहाँ पर उसके साथ उसके परिवार का कोई नहीं रहता है। वह अपने माता-पिता से 13 महीने से अलग रह रही है। उसका परिवारजनों के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है।

इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता का मुख्य बयान दिनांक 31.07.2024 को हुआ है। उस दिन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता 04:15 बजे तक जिरह हेतु उपस्थित नहीं थे और उनके द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र दिया गया, जो कि निरस्त कर दिया गया था, किन्तु फिर भी न्यायहित में जिरह हेतु अंतिम अवसर दिया गया। तत्पश्चात दिनांकित 14.08.2024 को उपरोक्त गवाह से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जिरह की। तत्पश्चात पुनः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक आग्रह पर जिरह स्थगित

की गयी। पुनः दिनांकित 19.09.2024 को जब गवाह को न्यायालय के द्वारा कई-कई प्रोसेज भेजे गये, तब वह गिरफ्तार होकर न्यायालय के समक्ष आयी और अपनी जिरह अंकित करवायी। जिस दिन उपरोक्त गवाह की मुख्य परीक्षा हुयी उस दिन गवाह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ कान्टेस्टेड बयान दिया, किन्तु अभियुक्त के द्वारा जानबूझकर अन्य तिथि ली गयी, ताकि गवाह को तोड़ा जा सके। जब गवाह को तोड़ लिया गया, तब उससे जिरह की गयी और दिनांक 14.08.2024 तथा 19.09.2024 को जो जिरह अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। ऊपर वर्णित बयानात से स्पष्ट है कि गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता इस समय अकेले किराये पर रह रही है। तेरह महीने से उसके माता-पिता के साथ कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि जब न्यायालय के द्वारा पीड़िता से पूछा गया, तो उसने बताया कि वह बयान अपनी मर्जी से दे रही है वह तीन महीने से बीमार है, वह कुछ नहीं कर रही है।

न्यायालय के मतानुसार जब पीड़िता अपने माता-पिता के साथ नहीं रह रही है और अकेले किराये के मकान में रह रही है और जब वह न्यायालय के समक्ष आती है, तो एन्ड्रायड फोन लेकर आती है। अकेले मकान में रहने का, खाने-पीने का, पहने-ओढ़ने का, मोबाईल पर बातचीत करने का खर्चा उसके पास कहाँ से आ रहा है, यह रहस्य का विषय है। निश्चित रूप से वादिनी मुकदमा/पीड़िता को उपरोक्त प्रकरण में पैसे की मदद पहुँचायी जा रही है तथा पैसे की यह मदद अभियुक्तगण के द्वारा ही पहुँचायी जा रही है और उपरोक्त प्रकरण लव-जेहाद के माध्यम से अवैध-धर्मान्तरण का मामला है।

न्यायालय की राय में यह तथ्य समझ से परे है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने हिन्दू संगठनों के और अपने माँ-बाप के दबाव में मुकदमा लिखवाया हो, क्योंकि वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने पुलिस को जो तहरीर प्रदर्श क-6 दी है उस पर उसके इंग्लिश में हस्ताक्षर हैं। वादिनी मुकदमा/पीड़िता पढ़ी-लिखी महिला है। तत्पश्चात पीड़िता का मेडीकल प्रदर्श क-10 करवाया गया, उपरोक्त मेडीकल में वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपने बयानात में अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर बलात्कार करना और अभियुक्त के द्वारा फोटो और वीडियो बनाना कहा गया है तथा उस पर वादिनी मुकदमा/पीड़िता के हस्ताक्षर एवं निशानी अंगूठा भी है। तत्पश्चात उसके बयानात अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 हुये हैं। बयानात 161 दं0प्र0सं0 पर भी उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय के समक्ष पीड़िता के बयानात अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 प्रदर्श क-7 न्यायालय के समक्ष सशपथ अंकित हुये हैं, जिसकी प्रति एक पृष्ठ पर पीड़िता के हस्ताक्षर हैं और उपरोक्त बयानात को पीड़िता द्वारा इस आशय के साथ तस्दीक किया गया है कि उपरोक्त बयानात सही हैं। तत्पश्चात वादिनी मुकदमा/पीड़िता की मुख्य परीक्षा दिनांकित 31.07.2024 को न्यायालय के समक्ष हुयी। उसमें भी उसने कान्टेस्टेड बयान दिये और उस पर वादिनी मुकदमा/पीड़िता के हस्ताक्षर भी हैं। इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष हुयी अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर, बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0, बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 तथा गवाह पी0डब्लू0-6 डा0 सायमा सरफराज खान के समक्ष दिये गये बयानात में अपने हस्ताक्षर का होना स्वीकार किया है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता निश्चित रूप से मुख्य बयानात दिनांकित 31.07.2024 अंकित करवाने के पश्चात अभियुक्तगण के डर व दबाव में है, इसीलिए वह जिरह हेतु भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रही थी।

गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने जिरह के पेज संख्या 6 पर आगे यह भी कहा कि आलिम ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी फोटो व वीडियो बनायी थीं। अतः गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि अभियुक्त मो0 आलिम ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता की फोटो व वीडियो बिना उसकी मर्जी के बनाई थी।

गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने जिरह के पेज संख्या 6 के अंत में तथा 7 के प्रारम्भ में यह कहा कि वह आलिम के बुलाने पर जेल में मिलने जाती थी। जब आलिम बुलाता था, तब वह जाती थी। आलिम से जो लोग मिलाई करने जाते थे उनके हाथ पर्ची व नम्बर भेजता था, तब वह मिलने जाती थी। अतः गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि वह अभियुक्त मो0 आलिम के बुलाने पर जेल उससे मिलने जाती थी। ऊपर वर्णित जिरह से ही स्पष्ट है कि अभियुक्त मो0 आलिम ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता के फोटो व वीडियो बनाये थे, जिस कारण से वह दबाव में उससे जाती थी।

गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने जिरह के पेज संख्या 7 पर आगे यह भी कहा कि जब-जब आलिम उसे मिलने के लिए बुलवाता था, तब-तब वह जाती थी। अतः गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि जब-जब अभियुक्त मो0 आलिम उसे बुलाता था, तब-तब वह उससे जेल में मिलने जाती थी। अर्थात् पीड़िता कभी भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से अभियुक्त मो0 आलिम से मिलने नहीं गयी।

गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने जिरह के पेज संख्या 7 पर आगे यह भी कहा कि जिस फोटो को उसने विवेचक को दिखाया था, तो विवेचक ने कहा बाद में ले लेंगे। विवेचक के द्वारा उससे फोटो व वीडियो नहीं मांगे गये। अतः गवाह पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि अभियुक्त मो0 आलिम ने जो

फोटो बिना उसकी इच्छा के बनाये थे, जिसके आधार पर अभियुक्त मो० आलिम उसको ब्लेकमेल करता था, उपरोक्त फोटोग्राफ पीड़िता ने विवेचक को दिखाये थे, किन्तु विवेचक ने पीड़िता के वह फोटोग्राफ नहीं मांगे और न ही उपरोक्त फोटोग्राफ्स को अभियोजन प्रपत्रों का भाग बनाया। न्यायालय का स्पष्ट मत है कि अभियोजन की उक्त कमी का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सम्पूर्ण साक्ष्यों को समग्रता में पढ़ा जाता है।

गवाह पी०डब्लू०-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने जिरह के पेज संख्या 7 पर आगे यह भी कहा कि गर्भपात करवाने उसे आलिम ले गया था। आलिम ने उसे मारा था, जिससे उसका बच्चा खराब हो गया था, इसलिए वह मजबूरी में गयी थी। आलिम ने उसे 05 तारीख को मारा था, महीना याद नहीं है। अतः गवाह पी०डब्लू०-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि मो० आलिम ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता से मारपीट की थी, जिससे वादिनी मुकदमा/पीड़िता का बच्चा खराब हो गया था और अभियुक्त मो० आलिम उसे गर्भपात करवाने ले गया था।

इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने मूल तहरीर में यह कहा है कि अभियुक्त आलिम ने अपना नाम आनन्द बताया तथा वह हाथ में कलावा भी बाँधता था। दिनांकित 13.03.2022 को राधा कृष्ण मंदिर में धोखे से उससे शादी की और धोखे से जबरदस्ती बलात्कार किया। उसने उसके फोटो और वीडियो भी बना लिये और उसे वायरल करने की धमकी दी। तत्पश्चात कई बार वादिनी मुकदमा/पीड़िता का बलात्कार किया। जब बाद में वादिनी मुकदमा/पीड़िता को यह पता चला कि अभियुक्त आनन्द हिन्दू नहीं है वरन् मुस्लिम है, तब अभियुक्त आलिम व उसके परिवार वालों ने उसे धर्म व परिवर्तन करवाकर निकाह करने की बात कही। वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपने बयानात अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में

उपरोक्त तहरीर में वर्णित बातें दोहरायी हैं तथा पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में उपरोक्त बयानात अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० को साबित भी किया है। वादिनी मुकदमा/पीड़िता के बयानात जो डाक्टर के समक्ष हुये हैं और पत्रावली पर प्रदर्श क-10 के रूप में उपलब्ध हैं। उसमें भी पीड़िता ने तहरीर में लिखी बात को दोहराया है तथा पीड़िता ने उपरोक्त डाक्टर के समक्ष दिये गये बयानात को न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा के द्वारा साबित भी किया है। वादिनी मुकदमा/पीड़िता के सशपथ बयानात न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 164दं०प्र०सं० भी अंकित हुये हैं, जिसमें भी पीड़िता ने तहरीर में वर्णित घटना का पूर्णतः समर्थन किया है तथा पीड़िता ने उपरोक्त बयानात को न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा के द्वारा साबित भी किया है। न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य बयानात में भी पीड़िता ने घटना का पूर्णतः समर्थन किया है तथा अपनी जिरह में भी अभियुक्त आलिम के द्वारा उसकी मर्जी के खिलाफ फोटो व वीडियो बनाने की बातें बतायी हैं तथा जिरह में यह भी कहा है कि अभियुक्त आलिम उसे गर्भपात कराने ले गया था। आलिम ने उसे मारा था। इस संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता की निशानदेही पर विवेचक के द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क-2 बनाया है, जिससे भी घटना का समर्थन होता है।

इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि न्यायालय के द्वारा दिनांकित 07.03.2024 को आरोप विरचन में घटना 17.03.2023 से 11.05.2023 तक वर्णित है, जबकि ऊपर वर्णित विश्वसनीय साक्ष्यों से एवं अभिलेखों से यह सिद्ध एवं साबित हो चुका है कि घटना दिनांक 17.03.2023 से पहले की है, जब अभियुक्त वादिनी मुकदमा/पीड़िता को दिनांकित 13 मार्च 2022 को मंदिर में ले गया और तत्पश्चात उसका धोखे से बलात्कार किया। अतः निश्चित रूप से घटना 13 मार्च, 2022 से दिनांक 11.05.2023 के मध्य भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुयी है। अतः आरोप में 17.03.2023 सहवन अंकित हो गया है। जबकि उसे 13.03.2022 अंकित

होना चाहिए था। न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि का अभियोजन केस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस त्रुटि का अभियुक्तगण पर विचारण में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत प्रकरण लव-जेहाद के माध्यम से अवैध-धर्मान्तरण का मामला है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लव-जेहाद क्या है? लव-जेहाद में मुस्लिम पुरुष शादी के माध्यम से इस्लाम में धर्मान्तरण के लिए व्यवस्थित रूप से हिन्दू महिलाओं को निशाना बनाते हैं और मुस्लिम पुरुष हिन्दू महिलाओं को धर्मान्तरित करने के लिए प्यार का दिखावा करके धोखे से शादी कर लेते हैं, जैसा कि उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त मो० आलिम ने अपना हिन्दू नाम आनन्द बताकर वादिनी मुकदमा/पीड़िता को धोखे में रखकर हिन्दू रीति-रिवाज से शादी कर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी फोटो व वीडियो भी बनायी और तत्पश्चात उसके साथ कई-बार बलात्कार किया।

लव-जेहाद का मुख्य उद्देश्य हिन्दूस्तान के खिलाफ एक धर्म विशेष के कुछ अराजक तत्वों द्वारा जनसांख्यिकीय युद्ध व अन्तर्राष्ट्रीय साजिश के तहत वर्चस्व स्थापित करना है। आसान शब्दों में कहें, तो लव-जेहाद मुस्लिम पुरुषों पर गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेम का ढोंग करके शादी करना है। लव-जेहाद के माध्यम से अवैध-धर्मान्तरण तो धर्म विशेष के कुछ अराजक तत्वों करते हैं या करवाते हैं या उसमें सहयोग करते हैं या षड्यंत्र में शामिल होते हैं। उपरोक्त कृत्य करवाते तो कुछ अराजक तत्व हैं, किन्तु बदनाम सम्पूर्ण धर्म विशेष होता है। लव-जेहाद के लिए काफी

बाड़ी मात्रा में पैसा चाहिए होता है। अतः लव-जेहाद में फॉरेन फंडिंग के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है।

चूँकि लव-जेहाद के माध्यम से अवैध-धर्मान्तरण होता है। अवैध-धर्मान्तरण को रोकने के लिए ही उत्तर-प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर-प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 पारित किया गया है तथा उपरोक्त अधिनियम में इस पारित करने का उद्देश्य एवं कारण यह बताया गया है कि भारत का संविधान समस्त व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी प्रदान करता है, जिसमें भारत की सामाजिक समरसता और उसकी भावना प्रतिबिंबित होती है। इस अधिकार का उद्देश्य, भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं को बनाये रखना है। संविधान के अनुसार, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है और सारे धर्म राज्य के सामने समान होते हैं तथा किसी धर्म को दूसरे धर्म पर अधिमान प्रदान नहीं किया जायेगा। समस्त व्यक्ति अपने पसन्द के किसी धर्म का उपदेश देने, उसका संव्यवहार करने तथा प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका संव्यवहार करने तथा प्रचार-प्रसार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। किन्तु अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को धर्म-परिवर्तन करने के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समान रूप से धर्म संपरिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्म संपरिवर्तित होना चाहने वाले व्यक्ति से संबंधित होता है। विगत दिनों में कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हुये हैं, जहाँ सीधे-साधे व्यक्तियों को दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक प्रभाव, जोर जबरदस्ती, लालच तथा कपटपूर्ण तरीकों से एक धर्म से अन्य धर्म में संपरिवर्तन किया गया है। इसी उद्देश्य एवं कारणों को लेकर उपरोक्त अधिनियम पारित किया गया है। प्रश्नगत मामले में निश्चित रूप से अभियुक्तगण के विरुद्ध उत्तर-प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के

अंतर्गत पुलिस के द्वारा कार्यवाही करनी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

जबरदस्ती, लालच देकर या झूठ बोलकर धर्मान्तरण कराने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसे अवैध-धर्मान्तरण का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि बलपूर्वक, झूठ बोलकर, धोखाधड़ी करके या जबरदस्ती या लालच देकर किसी को अवैध रूप से धर्मान्तरित करवाया जाता है, तो निश्चित रूप से उत्तर-प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। चाहे वह व्यक्ति कोई भी क्यों न हो।

संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने व प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है। धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लव-जेहाद के माध्यम से अवैध-धर्मान्तरण करने के अधिकार के रूप में नहीं बदला जा सकता है।

लव-जेहाद के माध्यम से अवैध-धर्मान्तरण किसी अन्य बड़े उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कराया जाता है। यदि समय रहते भारत सरकार के द्वारा लव-जेहाद के माध्यम से अवैध-धर्मान्तरण पर रोक नहीं लगायी गयी, तो भाविष्य में इसके गम्भीर परिणाम देश को भुगतने पड़ सकते हैं।

किसी व्यक्ति का एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन उसकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, किन्तु किसी अन्य व्यक्ति का लालच आदि

के द्वारा धर्म परिवर्तन किसी गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना किसी भी परिस्थिति में विधि संगत नहीं कहा जा सकता।

लव-जेहाद के द्वारा हिन्दू लड़कियों को प्रेम में फंसाकर उनका अवैध-धर्मान्तरण करने का अपराध एक विरोधी गिरोह अर्थात् सिंडिकेट द्वारा बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों के कमजोर वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओ०बी०सी० आदि समुदाय के लोगों, महिलाओं व बच्चों ब्रेन वॉश करके तथा उनके धर्म की बुराई करके, देवी-देवताओं के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करके तथा मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर व विभिन्न प्रकार के लालच जैसे विवाह, नौकरी आदि का प्रलोभन देकर उनका अवैध-धर्मान्तरण कराया जा रहा है, ताकि भारतवर्ष में भी पाकिस्तान व बांग्लादेश जैसे हाल पैदा किया जा सकें। इस संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में वादिनी मुकदमा/पीड़िता भी ओ०बी०सी० वर्ग से संबंध रखती है और उसे लव-जेहाद के माध्यम से अवैध रूप से धर्मान्तरित कराने का प्रयास किया गया है।

अवैध-धर्मान्तरण के प्रकरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अवैध-धर्मान्तरण देश की एकता, अखण्डता एवं सम्प्रभुता के लिए बड़ा खतरा है।

भारत का संविधान समस्त व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व संरक्षण देता है, जिसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता की भावना को बरकरार रखना है, किन्तु यदि एक धर्म के द्वारा किसी धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में दूसरे धर्मों के अस्तित्व को व्यपदेशन, लालच, असमायक दबाव या अन्य माध्यमों का प्रयोग करके दुष्प्रभावित किया

जायेगा, तो निश्चित रूप से अन्य सभी धर्मों के संरक्षण के अधिकार, जो संविधान द्वारा प्रदत्त का हनन होगा।

उपरोक्त विश्लेषण से यह सिद्ध एवं साबित है कि प्रश्नगत मामले में अभियुक्त मो० आलिम के द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को हिन्दू नाम आनन्द बताकर झांसे में रखकर उससे शादी की और उसका कई-बार बलात्कार किया, उससे गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गयी तथा अभियुक्त साबिर उर्फ रफीक अहमद के द्वारा भी वादिनी मुकदमा/पीड़िता को साशय अपमान पहुँचाने के आशय से गाली-गलौज की गयी।

16. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी०डब्लू०-4 के रूप में डा० अमित कुमार को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी०डब्लू०-4 डा० अमित कुमार प्रश्नगत प्रकरण में विशेषज्ञ साक्षी हैं।

गवाह पी०डब्लू०-4 डा० अमित कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कहा कि वह दिनांक 30.05.2023 को बतौर चिकित्सा अधिकारी के पद सी०एच०सी० बहेड़ी पर तैनात था। उस दिन पीड़िता को कां० प्रिया थाना देवरनिया द्वारा लाया गया, जिसका मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा 12:25 पी०एम बजे शुरू किया गया। पीड़िता के पहचान चिन्ह काले तिल का निशान दाहिनी आँख के पास पाया था। पीड़िता पूरे होसो हबास में थी एवं उसके Vitals स्थिर पाये गये एवं मेडिकल परीक्षण के दौरान पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य चोटें नहीं पायी गयी। पीड़िता को बाह्य परीक्षण के उपरान्त जिला महिला अस्पताल बरेली, आगे के आन्तरिक परीक्षण के लिए भेजा गया था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 9क/1 लगायत 9क/2 मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में जिसपर पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा है। जो उसके द्वारा प्रमाणित है, जिसपर प्रदर्श क-8 डाला गया।

गवाह पी0डब्लू0-4 डा0 अमित कुमार ने अपने मुख्य बयानात के माध्यम से पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट को **प्रदर्श क-8** के रूप में साबित किया है।

17. इस संबंध में राज्य के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री दिगम्बर सिंह के द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी मुकदमा ने तहरीर स्वयं दी है। वादिनी मुकदमा पढ़ी-लिखी महिला है। उसने तहरीर बिना किसी दबाव के स्वंत्रत सहमति से अपनी इच्छानुसार पुलिस को देकर मुकदमें की कायमी करवायी है। मैं अभियोजन के इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि पीड़िता पढ़ी-लिखी महिला है और मूल तहरीर पर उसने अपने इंग्लिश में हस्ताक्षर भी किये हैं।

इस संबंध में अभियोजन की ओर से एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता को अभियुक्त मो0 आलिम द्वारा स्वयं को हिन्दू तथा अपना नाम आनन्द बताते हुए धोखे से कई-बार बलात्कार किया गया है। मैं अभियोजन के इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि ऊपर वर्णित विवेचना से स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त मो0 आलिम के द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को झांसे में रखकर उसके साथ कई-कई बार बलात्कार किया गया है।

18. अभियुक्तगण के द्वारा बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में उपरोक्त घटना घटित होने से इंकार किया है तथा इस मुकदमें में रंजिशवश झूठा फंसाना कहा है, परन्तु अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित किया गया है। अतः मैं अभियुक्तगण के इस कथन में कोई बल नहीं पाता हूँ।

19. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सम्पुष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त मो0 आलिम के द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को अपने आपको हिन्दू नाम आनन्द बताते हुए दिनांकित

13 मार्च, 2022 को राधा कृष्ण मंदिर में वादिनी मुकदमा/पीड़िता को झांसे में रखकर विवाह किया तत्पश्चात उसका बलात्कार किया और फिर कई-बार उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा उससे मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी तथ अभियुक्त साबिर उर्फ रफीक अहमद वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ साशय अपमानित करने के आशय से गाली-गलौज की। प्रश्नगत मामले में कुल छः साक्षी परीक्षित कराये गये हैं। प्रश्नगत मामले में साक्षी पी0डब्लू0-3 वादिनी मुकदमा/पीड़िता स्वयं तथा गवाह पी0डब्लू0-5 आदेश कुमार एवं पी0डब्लू0-6 डा0 सायमा सरफराज खान के साक्ष्य पूर्ण रूप से विश्वसनीय हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मो0 आलिम तथा साबिर उर्फ रफीक अहमद के विरुद्ध उपरोक्त कारित अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है, जिससे अभियुक्तगण मो0 आलिम एवं साबिर उर्फ रफीक अहमद की सदोषिता साबित होती हैं। अतः अभियुक्त मो0 आलिम अंतर्गत धारा 376(2)(n), 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में तथा अभियुक्त साबिर उर्फ रफीक अहमद अंतर्गत धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त मो0 आलिम को सत्र परीक्षण संख्या 1167/2023, मुकदमा अपराध संख्या 173/2023, थाना- देवरनियों, बरेली, अंतर्गत धारा 376(2)(n), 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप में तथा अभियुक्त साबिर उर्फ रफीक अहमद को अंतर्गत धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त मो0 आलिम जिला कारागार, बरेली में निरुद्ध है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, बरेली से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त साबिर उर्फ रफीक अहमद जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं बंधपत्र को निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त साबिर उर्फ रफीक अहमद को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

दण्ड के प्रश्न पर पत्रावली सुनवायी हेतु एक घण्टे पश्चात पेश हो।

दिनांक 30.09.2024

(रवि कुमार दिवाकर)

JO CODE UP 1828

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट)—प्रथम,
बरेली।

वादहू

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पेश हुयी। सिद्धदोषों मो० आलिम एवं साबिर उर्फ रफीक अहमद न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री दिगम्बर सिंह तथा सिद्धदोषों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री दिगम्बर सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक श्री सौरभ तिवारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि भारत एक ऐसा देश है, जहाँ हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई एक साथ रहते हैं, जिस वजह से भारत की अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है। इस प्रकार की घटना से दोनों सम्प्रदायों में वैमनस्य पैदा होता है। यह भी देखा जाता है कि जिस परिवार की बेटि के साथ इस प्रकार की घटना घटती है, उस परिवार को भी समाज का तिरस्कार झेलना पड़ता है। इस प्रकार के रिश्ते जो झूठ की बुनियाद पर बने हों, उनका भविष्य अच्छा नहीं होता तथा पीड़िता का जीवन अंधकार मय हो जाता है। हिन्दू समाज की लड़कियों के विरुद्ध धर्म विशेष के लोगों द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर लव-जेहाद के माध्यम से अवैध रूप से धर्मान्तरित किया जा रहा है। यह मात्र मुस्लिम समाज की जनसंख्या बढ़ाने हेतु किया जा रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर विदेशों से पैसा भी आ रहा है। सिद्धदोष मो० आलिम के द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को लव-जेहाद के माध्यम से अवैध-धर्मान्तरित करने का प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम सिद्धदोष आलिम ने अपने आप को हिन्दू नाम आनन्द बताते हुए वादिनी मुकदमा/पीड़िता को झांसे में रखकर शादी की और फिर उसका कई बार बलात्कार किया। उपरोक्त कृत्य में उसके परिवार वालों ने सहयोग किया।

इसलिए अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम सजा दी जावे, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाये और लोग कानून में दिये गये प्रावधानों को समझें तथा भविष्य में ऐसी घटना कारित करने से डरें।

सिद्धदोषों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि सिद्धदोषों मो० आलिम तथा साबिर उर्फ रफीक अहमद का यह प्रथम अपराध है। वे गरीब व्यक्ति हैं। सिद्धदोषों मो० आलिम तथा साबिर उर्फ रफीक अहमद को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

मेरे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

विधि व्यवस्था शैलेन्द्र जसवन्त भाई बनाम स्टेट आफ गुजरात, (2006) 2 एस०सी०सी०, 359 व पंजाब राज्य बनाम प्रेम शंकर व अन्य, (2008) 3 एस०सी०सी० (क्रिमिनल) 183 में माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि दण्ड, अपराध की प्रकृति व गम्भीरता के अनुसार दिया जाना चाहिए। दण्ड के संबंध में किसी भी प्रकार की सहानुभूति एवं अपर्याप्त दण्ड देना न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक है तथा जन सामान्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रत्येक न्यायालय का यह दायित्व है कि अपराध की प्रकृति व गम्भीरता के अनुसार दण्डादेश पारित करते हुये अपराधी को दण्डित करे।

सिद्धदोष मो० आलिम के विरुद्ध अंतर्गत धारा 376(2)(n), 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप में तथा अभियुक्त साबिर उर्फ रफीक अहमद के विरुद्ध अंतर्गत धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप में दोषसिद्ध किया गया है।

धारा 376(2)(n) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में कठोर कारावास की सजा जो दस वर्ष से कम नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है, आजीवन कारावास का अर्थ व्यक्ति के शेष नैसर्गिक जीवन के लिए कारावास से है और अर्थदण्ड से दण्डित

किये जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अधिकतम एक वर्ष तक की सजा या जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अधिकतम दो वर्ष की सजा या जुर्माने की सजा या दोनों दिया जा सकता है। धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रकरण के सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मतानुसार ऐसी परिस्थिति में सिद्धदोष मो० आलिम को धारा 376(2)(n) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा, जिसका अर्थ व्यक्ति के शेष नैसर्गिक जीवन के लिए कारावास से है और एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में एक वर्ष के कारावास की सजा से, धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दो वर्ष के कारावास की सजा से एवं धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में सात वर्ष के कारावास की सजा से तथा अभियुक्त मो० साबिर उर्फ रफीक अहमद को धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दो वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से न्याय का उद्देश्य पूर्ण हो जायेगा।

दण्डादेश

1. सिद्धदोष मो० आलिम को सत्र परीक्षण संख्या 1167/2023 मुकदमा अपराध संख्या 173/2023, थाना— देवरनियाँ बरेली, अंतर्गत धारा 376(2)(n) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में आजीवन कारावास की सजा(आजीवन कारावास का अर्थ व्यक्ति के शेष नैसर्गिक जीवन के लिए कारावास से है) और एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। उपरोक्त अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

2. सिद्धदोष मो० आलिम को सत्र परीक्षण संख्या 1167/2023 मुकदमा अपराध संख्या 173/2023, थाना— देवरनियों बरेली, अंतर्गत धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में एक वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

3. सिद्धदोष मो० आलिम को सत्र परीक्षण संख्या 1167/2023 मुकदमा अपराध संख्या 173/2023, थाना— देवरनियों बरेली, अंतर्गत धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में दो वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

4. सिद्धदोष मो० आलिम को सत्र परीक्षण संख्या 1167/2023 मुकदमा अपराध संख्या 173/2023, थाना— देवरनियों बरेली, अंतर्गत धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में सात वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

5. सिद्धदोष साबिर उर्फ रफीक अहमद को सत्र परीक्षण संख्या 1167/2023 मुकदमा अपराध संख्या 173/2023, थाना— देवरनियों बरेली, अंतर्गत धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में दो वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में सिद्धदोषों की जेल में बितायी गयी अवधि को उनकी मूल सजा में समायोजित किया जायेगा। उपरोक्त सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।

7. सिद्धदोषों का सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने के लिए जिला कारागार, बरेली अविलम्ब प्रेषित किया जाय।

8. सिद्धदोषों के विरुद्ध अधिरोपित कुल अर्थदण्ड धनराशि वादिनी मुकदमा/पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाय।

9. सिद्धदोषों को उक्त निर्णय एवं आदेश की एक-एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।

10. वाद लिपिक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 365 का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित करे।

सत्र परीक्षण सं० 1167/2023, राज्य बनाम मो० आलिम आदि,
मु०अ०सं० 173/23 अंतर्गत धारा 376(2) (1), 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना देवरनियों, बरेली।

इस निर्णय की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को इस आशय से प्रेषित की जाय कि वह जनपद में समस्त थानों की पुलिस को सचेत करें जहाँ कहीं भी लव-जेहाद के माध्यम से अवैध-धर्मान्तरण का मामला या अन्य प्रकार से अवैध-धर्मान्तरण का मामला यदि कोई पाया जाय, तो अन्य सुसंगत प्रावधानों के अतिरिक्त उत्तर-प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के अंतर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, ताकि उपरोक्त अधिनियम के पारित करने की उत्तर-प्रदेश की विधायिका की मंशा के अनुरूप कार्यवाही हो सके।

इस निर्णय की एक प्रति पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ तथा मुख्य सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, लोक भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उत्तर-प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 का अनुपालन उत्तर-प्रदेश में सख्ती से करायें।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 30.09.2024

(रवि कुमार दिवाकर)

JO CODE UP 1828

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट)–प्रथम,
बरेली।

यह निर्णय, आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर, सुनाया गया।

दिनांक 30.09.2024

(रवि कुमार दिवाकर)

JO CODE UP 1828

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट)–प्रथम,
बरेली।

निर्णय टाइपकर्ता (स्टेनो)– अनिल कुमार शर्मा

सत्र परीक्षण सं० 1167/2023, राज्य बनाम मो० आलिम आदि,
मु०अ०सं० 173/23 अंतर्गत धारा 376(2) (n), 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना देवरनियों, बरेली।

Digitally signed by RAVI KUMAR
DIWAKAR
Date: 2024.09.30 14:49:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court